



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228560
CG-DL-E-29072021-228560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2796]
No. 2796]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3016(अ).—वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 10क की उप-धारा (2) और (3) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों को, भारत सरकार के उप सचिव या समतुल्य रैंक से नीचे न होने के कारण, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट गंभीरता स्तर की समवर्ती प्रविष्टियों के संबंध में, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 162 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट तरीके से शास्ति का निर्णय लेने के लिए नियुक्त करती है:-

अधिकारी का पदनाम	उल्लंघन/ अतिक्रमण/ गैर-अनुपालन की गंभीरता का स्तर (वायुयान नियमावली, 1937 की अनुसूची VIB का पैरा देखें)
(1)	(2)
उप निदेशक	स्तर 1 से 3
निदेशक	स्तर 4 से 6
उप महानिदेशक	स्तर 7 से 8
संयुक्त महानिदेशक	स्तर 9 से 10

इसके अतिरिक्त, यदि किसी कार्रवाई/विलोप के कारण एक से अधिक गंभीरता स्तर का उल्लंघन होता है, तो शास्ति को उपर्युक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उच्चतम गंभीरता स्तर के समवर्ती कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट नामित अधिकारी द्वारा विनिर्णीत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, किसी भी कारण, जो अधिवार्षिता, छुट्टी आदि तक सीमित न हो, की वजह से किसी नामित अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में, उसके अधिकार क्षेत्र के मामलों के लिए, रैंक में अगले उच्च स्तर का अधिकारी रिक्ति के जारी रहने की उक्त अवधि तक नामित अधिकारी के रूप में काम करेगा।

[फा. सं. एवी-29015/55/2015-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3016(E).—In pursuance of sub-sections (2) and (3) of section 10A of the Aircraft Act, 1934, the Central Government hereby appoints the officers of Directorate General of Civil Aviation specified in column (1) of the Table below, being the officers not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent, to act as designated officers for the purposes of the said Act to adjudge the penalty in the manner as specified under rule 162 of the Aircraft Rules, 1937, in respect to the corresponding entries of severity level specified in column (2) of the said Table:-

Designation of the Officer	Severity level of contravention/ violation/ non-compliance (See paragraph 2 of Schedule VIB of the Aircraft Rules, 1937)
(1)	(2)
Deputy Director	Level 1 to 3
Director	Level 4 to 6
Deputy Director General	Level 7 and 8
Joint Director General	Level 9 and 10

Further, in case an action / omission causes the contravention of more than one severity level, the penalty shall be adjudged by the designated officer specified in column (1) corresponding to the highest severity level involved therein specified in column (2) of the above table.

Further, in case of vacancy of a designated officer by virtue of any reason but not limited to superannuation, leave etc., for the matters of his jurisdiction, the officer next higher in rank shall act as the designated officer till such period the vacancy continues.

[F. No. AV-29015/55/2015-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.